निर्णय ब इजलास डॉ॰ जोगाराम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 32/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. अमीलाल जांगिड पुत्र स्व॰ श्री नाथाराम जांगिड जाति जांगिड निवासी 175, बसन्त विहार, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र स्व॰ श्री रामेश्वर
2. श्रीमती सुमनी देवी पत्नी स्व॰ श्री रामेश्वर
3. सीता देवी पुत्री स्व॰ रामेश्वर
4. गीता देवी पुत्री स्व॰ रामेश्वर

समस्त जातियान मीणा, समस्त निवासीयान ग्राम हरतेडा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

अप्रार्थी संख्या 1लगायत 4 वादीगण

5. सत्यनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण, निवासी अरोडा भवन, मूंदडी मोहल्ला, अजमेर ।
6. मधु पुत्री स्व॰ श्री श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हाथी भाटा, अजमेर ।
7. किशन गोपाल पुत्र स्व॰ रामेश्वर लाल
8. स्नेहलता पुत्र स्व॰ रामेश्वर लाल

समस्त जातियान ब्राह्मण निवासीयान 13/136, सत्यनारायण मन्दिर, अजमेर ।

9. रतन लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी अरोडा भवन मूदडी मोहल्ला अजमेर ।
10. रामसिंह पुत्र श्री भीवाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
11. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय चौमू जिला जयपुर ।,
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमू जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 237 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण ब उनवानी बजरंग लाल बनाम सत्यनारायण मय प्रार्थना पत्र को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री राजेश कुमार सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 2-7-2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण व उनवानी बजरंग लाल व अन्य बनाम सत्यनारायण व अन्य घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एंव अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिये पेश किया था जो वर्तमान में सहायक कलक्टर चौमू के समक्ष विचाराधीन है। उक्त मामले में दिनांक 12.12.2013 को एक पक्षीय अन्तरित आदेश पारित किया गया था जिसे पारित किये हुये छ वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि ऐसे आदेशों के सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम–3 ए में इस आशय की आज्ञापक व्यवस्था की हुई है कि ऐसे मामले विरोधी पक्षकार को सूचना दी कर 30 दिन के भीतर–भीतर निपटाया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का अन्तरिम आदेश 6 माह से अधिक प्रभावी नही रहेगा। तत्कालीन विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी श्री हिम्मत सिंह आर ए एस को उपरोक्त संबंध में अवगत कराया जाकर उनसे यह कई मर्तबा निवेदन किया गया कि वे लम्बित प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा को दोनों पक्षों को सुन कर अन्तिम रूप से निस्तारित कर देवें, परन्तु वे हर पेशी पर सुनवाई करने की बजाय मामले को स्थगित कर देते थे । इसलिए प्रार्थी ने एक अन्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13.02.3020 को प्रस्तुत किया था जिसके लम्बित रहते उपरोक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित मामला न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर से न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू को दिनांक 03.06.2020 को अन्तरित कर दिया गया जहां अभी तक सुनवाई प्रारम्भ नही हुई है, परन्तु यहां यह उल्लेखनीय किया जाना समीचीन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू में पीठासीन अधिकारी निशा सारण पदस्थापित है जिन्हें न्यायिक कार्य का ज्यादा तजुर्बा नही है, जो अपने समक्ष विचाराधीन न्यायिक मामलों के समबंध में उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी श्री हिम्मत सिंह आर ए एस से सलाह लेती है । श्री हिम्मत सिंह आर ए एस के न्यायालय से उपरोक्त मामले को अन्तरित किये जाने के लिए न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने व न्यायालय हाजा द्वारा उक्त श्री हिम्मत सिंह आर एस एस से मामले के अन्तरण के संबंध में टिप्पणी मगाये जाने पर उक्त श्री हिम्मत सिंह जी अप्रार्थी से नाराज हो गये। ऐसी परिस्थितियों में उक्त नाराजगी के चलते श्री हिम्मत सिंह अपने जूनियर व नव नियुक्त निशा सारण को असम्यक असर में लेकर मामले का गुणावगुण पर निर्णित कराने के बजाय उनके माध्यम से मनमाने तौर पर निर्णित करा सकते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को चौमू स्थित राजस्व न्यालयों से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित लम्बित मामले को कस्बा चौमू से जयपुर स्थित किसी भी राजस्व न्यायालय में अन्तरित किये जाना ही न्यायहित में आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्यपि सहायक कलक्टर चौमू की पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने सहायक कलक्टर चौमू के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूपः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण ब उनवानी बजरंग लाल व अन्य बनाम सत्यनारायण व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में मुन्तकिल किया जाता है।

6. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर चौमू व उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 2.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जोगाराम)
जिला कलक्टर
जयपुर